

मिसकेस संख्या -24/2023-24

तिथि

આદેશ

कि गई
कार्रवाई

1. विक्रेता/दाता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है।
2. विक्रेता/दाता और क्रेता/ग्रहिता दोनों ही अनुसूचित जनजाति के सदस्य है।
(जाति प्रमाण पत्र संलग्न)
3. ग्रहिता/ क्रेता एवं दाता/विक्रेता दोनों ही एक ही थाना के निवासी हैं, जिस थाना के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधीन जमीन अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न)
4. प्रस्तावित अन्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (क) के अन्तर्गत विक्रेता/दाता :- लखीराम सरदार, पिता-स्व० सुरेन्द्र सरदार, जाति-भूमिज, ग्राम-चाँपी, थाना-कोवाली, जिला पूर्वी सिंहभूम को मूल्य-1,00,000/-रुपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है क्रेता/ग्रहिता :- दिलीप सरदार, पिता-हाँगो सरदार, जाति-भूमिज, ग्राम-माधुवासाई, थाना-कोवाली, अंचल-पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन का ब्यौरा :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
चाँपी	1383	134	1452	0.11ए०

के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है।

लेखापित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धालभूम, जमशेदपुर।